रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, शनिवार, मई 4, 1974/वैशाख 14, 1896
No. 210] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 4, 1974/VAISAKHA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 4th May, 1974

S.O. 283(B).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 653(E)/18FB/IDRA/72, dated the 11th October, 1972 (hercinafter referred to as the Suspension Order), the Central Government declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the Suspension Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Smith, Stanistreet and Co. Ltd., Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thercunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 510(E)/18FB/IDRA/73, dated the 21st September, 1973, the duration of the Suspension Order was extended for a further period up to the 3rd May, 1974;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the Suspension Order should be extended for a further period up to the 3rd May, 1975;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the Suspension Order by a further period up to the 3rd May, 1975.

[No. F. 4/2/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 1974

का० आ० 283 (अ).—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 653 (ई) 118 एफ बी/आई डी आर ए/72, तारीख 11 अक्तूबर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निलम्बन आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की थी कि निलम्बन आदेश जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्व से संबंधित से भिन्न) सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का जिनका स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कं० लि० कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या तो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हैं, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन उत्पन्न या उदभूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निम्लम्बित रहेंगे;

और यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 510(ई)/18—एफ बी/आई डी आर ए/73, तारीख 21 सितम्बर, 1973 द्वारा निलम्बन आदेश की अवधि 3 मई, 1974 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी ;
और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि निलम्बन आदेश की अवधि 3 मई, 1975 तक के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निलम्बन आदेश की अवधि 3 मई, 1975 तक के लिए और बढ़ाती है।

[सं० फा० 4/2/72—सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1974